मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 7-6/2006/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवा में आने के बाद प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम प्राधिकारी के जाति प्रमाण-पत्र को मान्य करने बाबत्.

शासन के ध्यान में आया है कि अनारक्षित पद खुली प्रतियोगिता का होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कुछ व्यक्ति अनारक्षित पदों के विरुद्ध भी सेवा में आते हैं और बाद में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर आरक्षित श्रेणी में रखने की मांग करते हैं, ऐसे अनेक प्रकरण इस विभाग में अभिमत के लिये प्राप्त हो रहे हैं.

2. परीक्षणोपरांत सर्व संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसे लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों का सर्वप्रथम संबंधित जिला कलेक्टर से सत्यापन कराया जाए और प्रमाण-पत्र सही पाये जाने पर उसे कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि से मान्य करते हुए संबंधित लोक सेवक के सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में उसके नाम के सामने संबंधित आरक्षित प्रवर्ग का उल्लेख किया जाए.

3. ऐसे लोक सेवक आगामी पदोन्नति में वरिष्ठता/योग्यता के आधार अनारक्षित प्रवर्ग के साथ पदोन्नत न होकर आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पाते हैं तो पदोन्नत संवर्ग में उन्हें संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के बिन्दु के विरुद्ध दर्शाया जाएगा.

4. इसी प्रकार यदि कोई उम्मीदवार आरक्षित प्रवर्ग के रूप में आवेदन करता है, किन्तु आरक्षण का कोई भी लाभ लिये बगैर (जिसमें आयु संबंधी छूट भी शामिल है) योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग के साथ चयनित होता है तो उसकी गणना आरक्षित प्रवर्ग के रूप में न करने का नियमों में प्रावधान हैं. ऐसे लोक सेवकों के सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में नाम के सामने संबंधित आरक्षित प्रवर्ग का उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में उसके लिये आरक्षण संबंधी सुविधाओं का विकल्प खुला रहे.

5. शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कई उम्मीदवार अभी भी तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर आरक्षण का दावा करते हैं. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि मान. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 1-8-96 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है. अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण-पत्र ही आरक्षण की सुविधा देने सुनिश्चित की जाए.

हस्ता/-
(राजेन्द्र शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.